XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – रिव्यू 1040–दो / ...

प्रकरण का अवलोकन किया। यह पुनरावलोकन मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक ... 1862–दो / ...6 में पारित आदेश दिनांक 17–2–10 के विरुद्ध ... संहिता ... (जिसे आगे संहिता कहा जायगा) ... के तहत प्रस्तुत किया गया है।

2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क पर विचार किया गया एवं प्रकरण का अध्ययन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात / साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी

2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल / गलती

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण

आवेदक की ओर से पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एम/के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक /2010 जिला अशोकनगर

रिव्यू 1040-II/10

के.के. द्विवेदी एडवोकेट
द्वारा दि. 27-7-10 को प्रस्तुत।

बीना पॉवर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड बीना, द्वारा ए.के. तिवारी, जनरल मैनेजर, निवासी बीना जिला सागर (म.प्र.)

-- आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

-- अनावेदक